झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/239/06 भाग–I– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० शिवानंद राय,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार द्वारा परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

विषय :– **साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दांये तट पर रफाटोला से श्रीधर – 10 नम्बर (राजमहल) तक कटाव निरोधक कार्य हेतु रू० 5263.00 लाख (रूपये बावन करोड़ तीरसठ लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दांये तट पर रफाटोला से श्रीधर – 10 नम्बर (राजमहल) तक कटाव निरोधक कार्य हेतु रू० 5263.00 लाख (रूपये बावन करोड़ तीरसठ लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

3. कटाव निरोधक कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराया जायेगा :–
''रफाटोला से खट्टी टोला 1.8 कि०मी०, बानोटोला से पूर्वी प्राणपुर तक 2 कि०मी० की लम्बाई में Revetment कार्य एवं खटियाकानु से श्रीधर 10 नम्बर तक permeable spur @30m C/C बनाये जाने का कार्य।''

4. यह कार्य कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज द्वारा क्रियान्वित कराया जाएगा एवं कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. इसके कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकार से आवश्यकतानुसार क्लीयरेंस प्राप्त कर लिया जाएगा।

6. निकट भविष्य में राशि का दावा AIBFMP योजना के तहत् भारत सरकार से प्राप्त करने हेतु कार्यवाई की जाएगी।

7. इस कार्य हेतु निर्मित होनेवाले संरचनाओं को यथासंभव स्थायी बनाने हेतु का कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी।

8. इस कार्य पर होनेवाला व्यय, मुख्य शीर्ष– 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, राज्यांश

तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत भारित होगा।

9. यह कार्य वर्ष 2015–16 की बाढ़ अवधि के पूर्व पूरा करा लिया जायेगा।

10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

11. इस कार्य के लिए वर्ष 2013–14 के बजट उपबंध में एकमुश्त राशि का प्रावधान है।

12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. इस कार्य के लिए माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है।

15. इस कार्य के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति, झारखण्ड की स्वीकृति प्राप्त है।

16. इस पर वित्त विभाग, झारखण्ड की सहमति प्राप्त है।

17. इस कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(शिवानंद राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/239/06 भाग–I– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(शिवानंद राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/239/06 भाग–I– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(शिवानंद राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/239/06 भाग–I– 84/13-14 पु०स्वी० /राँची, दिनांक 26.02.2014

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14

(शिवानंद राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

26/02/14